अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2021(GCMS 2021/145) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/314698) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

24.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2021 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2021 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न पांच बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक 2875 दिनांक 02.03.12 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना जो कि 09.03.12 को श्रीमान् कलैक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत किया था, के आर/आर नं. व दिनांक की सूचना।
2. पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना व आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. प्रार्थी के पत्रांक [illegible] कि दिनांक 04.05. 2012 को प्रस्तुत श्रीमान जि[illegible]र को किया गया था, पर की गई कार्यव[illegible] क्रमांक 1475 दिनांक 12.03.12 संलग्न किया था, पर [illegible] गई कार्यवाही की [illegible] व प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों पत्रों पर सम्बन्धित कर्मकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के आधार पर की गई कार्यवाही की सूचना, जिसमें प्रार्थी द्वारा निवेदन किया था।
5. जिन नियमों के अधीन प्रार्थी के पत्र का जवाब न देने के कारण कार्यवाही नहीं की, उस नियम की प्रतिलिपि व सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2021/993 दिनांक 23.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त अपील के सम्बन्ध में अपीलोत्तर निम्न प्रकार साद्र प्रस्तुत है:

यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2021 को आई.पी.ओ. संख्या 52 एफ 314698 संलग्न दस्तावेज आवेदन कर आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की जानकारी/सूचना चाही गई। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक रीडर/2020/629 दिनांक 29.06.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आप द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है एवं कोई जनहित भी नहीं है साथ ही कार्यालय कार्य को बाधित करने वाली सूचना चाही गई है। आप द्वारा चाही गई सूचना बाबत जिन पत्रों का हवाला दिया गया है, उनकी प्रति उपलब्ध करवाये एवं चाही गई सूचना स्पष्ट अंकित कर भिजवावें, ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:30 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(डा. हरीतिमा)
लोक सूचना अधिकारी
अति. जिला कलक्टर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 829 दिनांक 28.06.2021 से अपीलार्थी को सूचित किया है कि आपका प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है, इसलिए आप चाही गई सूचना स्पष्ट अंकित कर भिजवाये ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। इसलिए अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष पुनः स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी यदि पुनः स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर, को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:04:30 IST
Reason: SelfAttested